

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 16.12.25

क्रमांक रीडर/2025/ 9877

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जसवंतसिंह 2 भवानीसिंह  
पिसरान खेतसिंह 3 मांगूसिंह  
पुत्र कोजराजसिंह 4 शांति  
कंवर उर्फ पतकंवर पत्नि  
खेतसिंह जातियान राजपूत  
निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 कमलादेवी पत्नि प्रभुदयाल 2 प्रभुदयाल पुत्र कानाराम  
जातियान सुथार निवासी सरदारपुरा बाड़मेर 3 खुशालगिरी चेला  
महन्त तेजगिरी जाति स्वामी, निवासी गंगागिरीजी का मठ,  
पनघट रोड बाड़मेर 4 हेमीदवी पत्नि देवीलाल जाति दर्जी  
निवासी बाड़मेर 5 राजवीर दान चारण 6 दिनेश कुमार पिसरान  
करनी दान चारण जातियान चारण निवासी चारणों का वास,  
बीजासर तहसील चौहटन 7 पोकरसिंह पुत्र शोभसिंह जाति  
राजपूत निवासी मोसेरी तहसील गडरारोड 8 सिकंदर खान 9  
मुकंदर खान पिसरान रमजान खान निवासी कोतवाली मकान  
संख्या 0, कॉलोनी कोटवालों का वास, बाड़मेर शहर 10  
हाजीमुख्तियार मोहमद पुत्र खाजू जाति मुसलान निवासी बाड़मेर  
तहसील व जिला बाड़मेर 11 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-417/2025

दिनांक- 26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गेहूँ पटवार क्षेत्र गेहूँ तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 999/395 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9878- 81

दिनांक- 16.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुडी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण जसवंतसिंह पुत्र खेतसिंहजातियान राजपूत निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कमलादेवी पत्नि प्रभुदयालवगौराह जातियान सुथार निवासी सरदारपुरा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर